**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 3094

उत्‍तर देने की तारीख: 22.03.2018

**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिकायत निवारण नियम का कार्यान्वयन**

**3094. श्रीमती रेणुका चौधरी**

 क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में कुछ विश्वविद्यालयों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिकायत निवारण) नियम, 2012 को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा छात्रों की शिकायतों के निवारण के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में लोकपाल की अनिवार्य रूप से नियुक्ति करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. सत्य पाल सिंह)**

(क) से (ग): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) शिकायत निवारण विनियम, 2012 विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के पीड़ित विद्यार्थियों की शिकायतों के निवारण हेतु सुस्पष्ट प्रणाली एवं प्रक्रियाविधि निर्धारित करता है। इन विनियमों का कार्यान्वयन भारत के सभी विश्वविद्यालयों/संबद्ध कॉलेजों में अनिवार्य है। शिकायत निवारण विनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए यूजीसी समय-समय पर विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी करता है। इसके अतिरिक्त, इन विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों द्वारा प्रभावी तरीके से आवाज उठाने और दर्ज शिकायतों के निवारण हेतु प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक लोकपाल नियुक्त करने की अपेक्षा की गई है। यूजीसी द्वारा विनियमों के अंतर्गत शिकायत निवारण प्रणाली और प्रक्रियाविधि के कार्यान्वयन का गहन निरीक्षण किया जा रहा है।

 यूजीसी ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, अनुचित तरीकों को रोकने और शिकायतों के निवारण हेतु प्रभावी तंत्र प्रदान करने हेतु एक ऑनलाइन विद्यार्थी शिकायत निवारण पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल पर विद्यार्थियों को अपनी शिकायतें दर्ज करवाने, अनुस्मारक भेजने एवं उनकी शिकायतों पर की गई कार्रवाई की स्थिति दर्शाने की सुविधा प्रदान की गई है। यह प्रणाली विश्वविद्यालयों को विद्यार्थियों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों को खोजने एवं उन पर नजर रखने और शिकायतों पर की गई कार्रवाई के साथ शिकायतकर्ता से सीधे ई-मेल, फोन या डाक द्वारा संपर्क करने की सुविधा प्रदान करती है।

**\*\*\*\*\***